

फर्द अहकाम

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी चक्रधर
 बनाम जगन्नाथ
 क्रमा संख्या / वर्ष : 151 / 2020

सं.	दिनांक आज्ञा या कार्यवाही	आज्ञा विस्तृत रूप से	विशेष विवरण
	26/9/23	<p>पत्रावली पेश हुयी/R.O. साहय/कार्य कन्डोलेक्स अप्पे ग्री में वाडि जनरल दिनांक दी गई। पूर्वानुसार पत्रावली दिनांक 20/12/23 को पेश हो।</p> <p style="text-align: right;"><i>साय</i></p>	
	20/12/23	<p>पत्रावली पेश हुयी/R.O. साहय/कार्य कन्डोलेक्स अप्पे ग्री में वाडि जनरल दिनांक दी गई। पूर्वानुसार पत्रावली दिनांक 14/2/24 को पेश हो।</p> <p style="text-align: right;"><i>साय</i></p>	
	14/2/24	<p>पत्रावली पेश हुयी/R.O. साहय/कार्य कन्डोलेक्स अप्पे ग्री में वाडि जनरल दिनांक दी गई। पूर्वानुसार पत्रावली दिनांक 8/4/24 को पेश हो।</p> <p style="text-align: right;"><i>साय</i></p>	
	8/4/24	<p>पत्रावली पेश हुयी वकील प्रार्थी व स्वयं प्रार्थी को लांगकाल 6pm तक बार-बार आवाज लगाने के बावजूद दायीर अदालत नहीं आया न ही प्रार्थी की कोर ले अन्य कोई प्रेरवी करने हेतु दायीर अदालत आया अतः प्रा. पह 212 RTI का अदम दायरी एवं अदम प्रेरवी में आरिज किया जाता है। पत्रावली वाद तकमील गमिल दफ्तर हो।</p> <p style="text-align: center;">21 उपखण्ड अधिकारी उपखण्ड, चाकसू (जयपुर)</p>	